## — : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 गोपालदास के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा धानणी के खेत खसरा नम्बर 227 रकबा 6.4021 हैक्टेयर में से 0.2832 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 भंवरलाल के हक बंट में मौजा धानणी के खसरा नम्बर 227 रकबा 6.4021 हैक्टेयर में से 0.7122 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाति है।
3. वादी संख्या 3 भागीरथराम के हक बंट में मौजा धानणी के खसरा नम्बर 227 रकबा 6.4021 हैक्टेयर में से 3.3184 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. वादी संख्या 4 प्रदीप स्वामी के हक बंट में मौजा धानणी के खसरा नम्बर 227 रकबा 6.4021 हैक्टेयर में से 1.9910 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाति है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के हक बंट में मौजा धानणी के खसरा नम्बर 227 रकबा 6.4021 हैक्टेयर में से 0.0973 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाति है।
6. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 क्रमशः लिछमा व सुशिला के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

नजरीनक्सा निर्णय एंव डिक्री का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11.02.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner